न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 2/2013/टीए

मांगीलाल पिता गोकल जाट
निवासी दांतोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

कालु पिता भेरा जाट
निवासी गुन्दली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी, कपासन
दिनांक 22.06.2011 प्रकरण सं. 75/2010

उपस्थित – 1. श्री कृष्णचन्द्र तुलछिया – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 14.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय कपासन ने अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करके दिनांक 22/06/2011 को रेस्पोडेन्अ का धारा 212 रा0टि0एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट अप्रार्थी को अस्थायी आदेश से पाबन्द किया इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट प्रार्थी ने प्रस्तुत की है।

2. विवादित आराजीयात मौजा गुन्दली के पटवार सर्किल गुन्दली तहसील कपासन के आराजी नम्बर 509, 511, 520, 521, 522, 523, 535, 536, 538 ,539 व 510 कुल किता 11 रकबा 3.75 है0 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे कालु पिता भेरा 1/2 तथा गोकल अपीलान्ट 1/6 तथा छगनी पिता भेरा 1/6 दर्ज रिकार्ड संयुक्त खातेदार काश्तकार है जो जमाबन्दी मौजा गुन्दली के संवत् 2067 से 2070 मे दर्ज अंकित है। कब्जा भी अपीलान्ट कालु पिता भेरा जाट निवासी गुन्दली व रेस्पोडेन्ट कालु पिता भेरा जाट निवासी गुन्दली व छगनी पिता भेरा का संयुक्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खातेदार अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जो विधि के विरूद्ध है। संयुक्त रेकार्डेड काश्तकार रूपा के अपीलान्ट मांगीलाल मृतक रूपा की सगी बहिन मु0 नाथी का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट कालु पिता भेरा मृतक रूपा के सगे भाई भेरा का पुत्र है तथा मु0 छगनी मृतक रूपा की बहिन है। उक्त प्रकार मृतक रूपा पिता भेरा अविवाहित थे उनके कोई पुत्र, पुत्री गोद पुत्र या पत्नि नही थी। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय

अनुसूची के अन्तर्गत भतीजा रेस्पोडेन्ट कालु भाणेज अपीलान्ट मांगीलाल तथा बहिन छगनी पिता भेरा बराबर के उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है इसलिये अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। छगनी पिता भेरा 1/6 हिस्से की संयुक्त खातेदार काश्तकार है उसे भी पक्षकार नही बनाया गया जो अवैधानिक है। बिना सभी संयुक्त खातेदार को पक्षकार बनाये धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत वाद व उसके तहत धारा 212 का प्रार्थना पत्र नही लाया जा सकता है। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे अन्य दाद को भी अपीलान्ट को मिल सके प्रदान करायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि भीमा के दो श्री रूपा श्री भेरू तथा पुत्री नाथी एवं छगनी हैं। रूपा औलाद फौत हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारिक सजरे एवं हिस्सा कस्सी पर घोर किये बिना धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. बहस एक तरफा सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पारिवारिक सजरे की गहराई मे गये बिना निर्णित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 75/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 22/06/2011 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी